संख्या-65/259 आ.न.यो./9-8-14-2आ.न.यो(बजट)/2013

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

(1) नगर पंचायत-तालबेहट, जनपद-ललितपुर।

(2) नगर पंचायत-छतारी, जनपद-बुलन्दशहर।

(3) नगर पंचातय-चरथावल, जनपद-मुजफ्फरनगर।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 04 मार्च, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नगर निकायों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-788आ.न.यो./9-8-2013-04(03)आ.न.यो./2013 दिनांक 04.7.2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रूपये 4072.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 2036.00 लाख की धनराशि अवमुक्त् की गयी है। निम्न निकायों ने शासन द्वारा स्वीकृत उक्त 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04.7.2013 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निकायों के सम्मुख अंकित अवशेष धनराशि रूपये 57.50 लाख (रूपये सतावन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

कंमांक	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	शासनादेश संख्या-788 आ.न.यो./9-8-2013-04 (03)आ.न.यो./2013 दिनांक 04.7.2013 द्वारा अवमुक्त 50 प्रतिशत की धनराशि	निकायों को अवशेष धनराशि की स्वीकृति (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	ललितपुर	न.पं. तालबेहट	30.00	15.00	15.00
2	बुलन्दशहर	न.पं. छतारी	40.00	20.00	20.00
3	मुजफ्फरनगर	न.पं. चरथावल	45.00	22.50	22.50
		योग-	**115.00**	**57.50**	**57.50**

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उक्त् पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. शासनादेश संख्या-788आ.न.यो./9-8-2013-04(03)आ.न.यो./2013 दिनांक 04.7.2013 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत् निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-65/259(1)आ.न.यो./9-8-14 तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश्, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in